(2) The All India Services (Provident Fund) Second Amendment Rules, 1978, published in Notifications No. G.S.R. 1492 in Gazette of India dated the 16th December, 1978.

(3) The All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 1979, published in Notifications No. G.S.R. 73 in Gazette of India dated the 20th January, 1979. [*Placed in Library. See* No. LT-3259/79].

12.05 hrs.

ARREST OF MEMBER

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received the following telegram dated the 20th February, 1979, from the Senior Superintendent of Police, Jammu, to-day:

"Shri Baldev Singh Jasrotia, Member of Parliament, arrested today at Jammu, under sections 107/151, Cr. P. C., and remanded to judicial lock up under orders of Executive Magistrate."

RE: CIRCULATION OF HINDI VERSION OF REPORTS RECEIVED FROM MINISTRIES

MR. SPEAKER: Now, Calling Attention. Mr. Pradyumna Bal. (Interteruptions).

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि चाइना और वियतनाम के बारे में जो रपट हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से भेजी गई है, वह सिर्फ अंग्रेजी भाषा में भेजी गई है। यह अन्याय बरदाश्त नहीं किया जायगा. . . . (व्यवधान) . . . यह अंग्रेजी में मेरे पास पहुंची है, मैं इस को बड़ा अन्याय समझता हूं। आज हर बात को आप लोग मजाक में उड़ा देते हैं—इस का यह मतलब नहीं है कि हिन्दी भाषा को खत्म करते चले जायें। अंग्रेजी को इस देश से जाना है, हिन्दी को आना है—इस तरह के व्यवहार का क्या मतलब है ? एक तरफ़ अटल बिहारी जी कहते हैं कि हम इस को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनायेंगे, लेकिन दूसरी तरफ़ लोक सभा के सदस्यों को, मेरे जैसे सदस्यों को रपट सिर्फ अंग्रेजी में दे रहे हैं, उस के साथ उस का हिन्दी अनुवाद नहीं है . . . . . .

MR. SPEAKER: I think Government should have done this.

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : दोनों भाषाओं में रिपोर्ट तैयार है, शायद उस का वितरण करने में देरी हुई होगी . . . . (व्यवधान) . . . . .

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय . . . . . .

MR. SPEAKER: Please hear me. The hon. Minister said that there was some delay in the distribution of it. That is not correct. The Office tells me that you have not supplied them with the Hindi copies.

श्री मनी राम बागड़ी: मैं राष्ट्र भाषा का अपमान कतई बरदाश्त नहीं कर सकता। आप अपनी अंग्रेजी की कापी को रखिये।

श्री राज नारायण (रायबरेली) : मेरा एक निवेदन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप संविधान के अनुकूल संसद को चलाना चाहते हैं या किसी मिनिस्टर की सूटकेस पर इसे चलाना चाहते हैं। अगर मिनिस्टर की सूटकेस पर चलेगा, तो हम इस को चलने नहीं देंगे। अगर संविधान के अनुकूल चलेगा, तो भरसक चलना चाहिए और उस में हमारी पूरी सहायता रहेगी।

SHRI C. N. VISVANATHAN (Tiruppattur): In all the languages, not only in English. It should be given in all the languages—not only in English.

श्री राज नारायण : इस तरह से हम हाऊस नहीं चलने देंगे। जब तक हिन्दी रपट नहीं आएगी, हाऊस नहीं चलेगा। मजाक कर दिया आप ने . . . (**व्यवधान**) . . . . संविधान की रक्षा हो। मजाक कर दिया। हिन्दी मेन भाषा है। हिन्दी आफिशियल भाषा है। . . . . . . (**व्यवधान**) . . . आप ने अंग्रेजी को रानी बनाया दिया और हिन्दी को नौकरानी।

SHRI SHAYMNANDAN MISHRA (Begusarai): May I seek a clarification from the Chair on this point?

What is the practice in your office, when the office receives the Hindi version? In such matters, does not the office try to ensure conformity with the Constitution? (Interruptions) Sir, my question is this. When your office receives only an English copy, in order to ensure conformity with the